उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

क0नि0-2- 14 /ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0 अध्या0-37-2008-आदेश-(3)-2008

दिनांक: 10 जनवरी, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007) की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निर्देश देते हैं कि दिनांक 1 जनवरी 2008 से निर्माता या आयातकर्ता व्यवहारी द्वारा उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा तथा स्प्रिट एवं समस्त प्रकार की स्प्रिट युक्त मदिरा, जिसमें मिथाईल अल्कोहल भी सम्मिलित है, की खरीद या बिक्री पर उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत इस शर्त के अधीन कर देय नहीं होगा कि सम्बधित व्यवहारी द्वारा कर अवधि की विवरणी के साथ कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत किया जाय कि, यथास्थिति, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन देय प्रतिफल शुल्क अथवा आबकारी ड्यूटी का भुगतान कर दिया गया है।

आज्ञा से,

(के0 चन्द्रमौलि)

प्रमुख सचिव